

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक अग्रणी कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही लिख लाने व कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि कुछ में एक अनुसूची हुआ है तो उस सम्बन्धित विषयक प्रत्येक लिखा करने जियाई संभव है।



नाम : कुलसचिव
पता : (0751) 2441295
(0751) 2442820
फोन : (0751) 2441708

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2012/6010

दिनांक: 11.07.13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से अग्रणी प्रेसिडेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-3291577) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संज्ञित बी.एस-सी. (नर्सिंग) प्रथम उर्ध, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसूचीएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्नातक उपाधि, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत जिम्मानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजकीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) प्रो. आर्.के. पात्रो, आचार्य, न्यूरोसाइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. माया सिंह, प्राचार्य, जी.आर.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रवेश निरीक्षण का शुल्क, धरोहर राशि, बांछित शैक्षणिक/अनुसूची क सॉफ्ट, प्राधिकृत सत्यापन अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, गठन, लीड परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिफेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं गैरन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसूचीएं उपलब्ध करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये भरे निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिनों में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण वरी) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्धवर्ष तथा करकर नवीन समिति गठित की जायेगी। जिससे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत ज्योतिषक / तर्कालय सहायक पत्रवाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों की डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिनिधि :-

1. समस्त सदस्यों को ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आइए है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, मनापुरा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)